Order sheet [Contd]

Case No: BA. -347 / 17

Signature of Parties or Pleaders where necessayry

04-10-17 04:00 to 04:15 PM आवेदक / अभियुक्त रवि यादव द्वारा श्री एम.पी.एस. राणा अधिवक्ता उप0।

आवेदक / अभियुक्त हीरालाल द्वारा श्री बी.एस. यादव अधिवक्ता उप0।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप0।

पुलिस थाना मो के अपराध क्रमांक 236/17 अंतर्गत धारा—399, 400, 401 भा0दं०सं० एवं 25/27 आयुध अधिनियम तथा 11/13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के. एक्ट की कैफियत व केस डायरी प्राप्त।

आवेदक / अभियुक्त रिव यादव की ओर से उसकी मां बीरोबाई के द्वारा तथा आवेदक / अभियुक्त हीरालाल की ओर से उसकी पत्नी श्रीमती नीलम के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किए गए हैं। आवेदनों एवं शपथपत्रों में यह बताया गया है कि यह आवेदकगण का प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439 दं0प्र0सं0 का है। इस आवेदन के अतिरिक्त इस प्रकृति का कोई अन्य आवेदन इस न्यायालय, समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया है, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

उल्लेखनीय है कि रवि यादव एवं हीरालाल की ओर से प्रथक—प्रथक जमानत आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। पंरतु दोनों जमानत आवेदन एक ही अपराध से संबंधित होने के कारण उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

दोनों जमानत आवेदनों पर उभयपक्ष के तर्क सूने गए।

आवेदक / अभियुक्तगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और उन्हें प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। रिव यादव की से व्यक्त किया गया है कि उसके परिवार में उसकी माताजी अकेली हैं, जिनकी देखभाल करने के लिए अन्य कोई नहीं है। वह दिनांक 16.09.17 से न्यायिक निरोध में है। वह जेल में रहने से अन्य केंद्रियों की संगत में आकर बुरी आदतों में पड़ जाएगा तथा परिवार में वृद्ध माता की भी हालत खराब होकर भूखों मरने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हीरालाल की ओर से व्यक्त किया गया है कि उसके पिरवार में पत्नी एवं छोटे—छोटे बच्चे है यदि वह अधिक दिनों तक जेल में रहा तो आवेदक का परिवार

भूखों मरने की स्थिति में आ जाएगा। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

राज्य की ओर से दोनों जमानत आवेदनों का घोर विरोध किया गया है तथा जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

🔷 उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 16. 09.17 को रात्रि 11:20 बजे के लगभग सेवढ़ा रोड कब्रिस्तान के पास अभियुक्तगण राजेश, हीरालाल, तुलसी, सोनू एवं रवि को हरभजन सिंह कुशवाह के घर में डकैती डालने की योजना बनाते समय हथियारों सहित पकडा गया है। राजेश के पास से लोहांगी, हीरालाल के पास से कुल्हाड़ी, रवि यादव के पास से 315 बोर का कट्टा, तुलसी उर्फ तुलसीराम से एक टॉर्च एवं सोनू से लोहे का सरिया जप्त हुआ है। पुलिस बल के द्वारा वापिस लौटने पर प्रधान आरक्षक अमरसिंह के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गई है।

म०प्र० डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा–5(2) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि जमानत आवेदन का विरोध किया गया हो, तो आवेदन मंजूर नहीं किया जाएगा।

इस प्रकार धारा-5(2) के तहत विरोध किए जाने पर जमानत मंजूर किए जाने का वर्जन है। अतः आवेदकगण के दोनों का जमानत आवेदन निरस्त किए जाते हैं 📈

केस डायरी आदेश की प्रति के साथ वापिस की जावे। प्रकरण का परिणाम अंकित कर प्रपत्र अभिलेखागार में भेजे ALIMAN ALIMAN PARENTA जावें।

(मोहम्मद अजहर) विशेष न्यायाधीश डकैती गोहद जिला भिण्ड

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessayry
	A The Land	
	STATE SUL	
ELIA!	a call	
(TIND		

WILHOUT PAROLET BUTTIN TECS SHIPTED STATES OF THE PAROLET BUTTING TO THE PAROLET BUTTING THE PAROLET BUTTING TO THE PAROLET BUTTING THE PAROLET BUTTING TO THE PAROLET BUTTING T